# *छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*

*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

<u>*अपील प्रकरण कमांक 687/2007*</u>

1. **श्री एल0एम0 तिवारी,** - *अपीलार्थी*
**पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त),**
**बाबूपारा, जेल रोड,**
**अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)**

**विरूद्ध**

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,**
**रायपुर (छत्तीसगढ़)**

*//<u>आदेश</u>//*

*(दिनांक 05 दिसंबर, 2007)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एल0एम0 तिवारी, अंबिकापुर द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर के यहाँ दिनांक 17.05.2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन का निराकरण कर दिनांक 06.02.2007 को सूचना दी गई थी, किन्तु इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.02.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 19.04.2007 को विस्तृत विचार करने के उपरांत उक्त अपील निरस्त की गई । अपीलार्थी द्वारा इससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 25.06.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की जाकर उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के माध्यम से भी आवदेन भेजे गये थे, उन पर जन सूचना अधिकारी द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया और उसके अंतर्गत जो भी जानकारी उनके द्वारा चाही गई थी, वह दे दी गई थी, किन्तु उनके द्वारा अपने पिता के द्वारा बेची गई संपत्ति की धोखाधडी के संबंध में जांच एवं कार्यवाही की मॉग की गई थी, इस संबंध में अवगत कराया गया कि वे सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने अथवा पुलिस में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है । अपीलार्थी द्वारा अधिनियम, नियम तथा उच्च न्यायालय के आदेशों की व्याख्या चाही गई थी, वे भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आने

के कारण अमान्य की गई थी । जहॉं तक मा0 उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश का निर्णय दिनांक 27.08.1996 के विरूद्ध अपील करने संबंधी जो जानकारियॉं मॉगी गई है, उसके संबंध में उस समय मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभाग से ही जानकारी लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा उसका जवाब दिया जाना संभव नहीं है । इसी प्रकार गाईड लाईन बनाने संबंधी नियमों की जानकारी भी जन सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें नये संशोधित नियम के रूप में प्रदान करा दी गई है और अन्य बिन्दुओं पर जो जानकारी उनके द्वारा मॉगी जा रही है, वह एक अभिमत/व्याख्या के रूप में होने के कारण दिया जाना संभव नही है । अपीलार्थी द्वारा रिकार्ड की कोई प्रति के बारे में स्पष्ट मॉंग भी नही की गई है जो उन्हें दी जा सके । जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जो विस्तृत विवेचना के उपरान्त आदेश पारित किया गया है, वह अपने स्थान पर सही है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

3/ अत: आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है और प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त